न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 59/2025 निर्णय दिनांक 26.05.2025
जीसीएमएस नम्बर 2025/129

किशन लाल पुत्र इमरताराम जाति ब्राहम्ण निवासी आडसर बास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. भींयाराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 131 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से वाद पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत हैं कि वादी की एकल खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 523/519 तादादी 1.5200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 524/519 तादादी 1.7700 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 525/519 तादादी 2.5300 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 520/20 तादादी 7.4300 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेत खसरान के पुराने खेत खसरा नम्बर 20 तादादी 13.2500 हैकटेयर रोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ थे जो खातेदार गणपत वल्द मघा कौम जाट साकिन श्रीडूंगरगढ़ के नाम दर्ज था। उक्त खातेदार गणपत वल्द मघा ने खेत खसरा नम्बर 20 पुराने मे से पश्चिम दिशा की 5.82 हैक्टेयर भूमि अपनी पुत्रवधू नानूदेवी पत्नि मुलाराम कौम जाट के नाम उपहार कर दी थी एवं उक्त उपहार की गयी भूमि का इन्तकाल संख्या 33 दिनांक 28.02.2008 के द्वारा रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया और उक्त इन्तकाल की पुश्त पर उपहार की गयी भूमि को खेत खसरा नम्बर पुराने 20 के पश्चिमी दिशा में दर्शाते हुए नक्शा बनाया गया जिसके बाद उपहार की गयी भूमि के नये खसरा नम्बर 519/20 तादादी 5.8200 हैक्टेयर रोही सालासर कायम किये गये एवं शेष भूमि के 520/20 तादादी 7.430 हैक्टेयर रोही सालासर कायम किये गये। उक्त उपहार पत्र के मुताबिक कायम किये गये खसरा नम्बरान की राजस्व नक्शा अक्स में तत्समय तरमीम नही की गयी। अपने ससुर द्वारा उपहार पत्र में वादगत खसरा नम्बर 20 पुराने की पश्चिम दिशा की भूमि मिलने के बाद कायम किये गये खसरा नम्बर 519/20 की खातेदार नानूदेवी ने तीन हिस्सो में उक्त भूमि का विक्रय पत्र करवा दिया जिसके नये खसरा नम्बर 523/519, 524/519, 525/519 कायम किये गये। गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन करते समय वादगत खेत खसरा नम्बर 523/519, 524/519, 525/519 को मुल खसरा नम्बर पुराने 20 के उतरी दिशा में दर्शाते हुए नक्शा तरमीम कर दिया गया। नये खसरा नम्बरान के खातेदारो ने अपनी भूमि वादी को विक्रय कर दी एवं कब्जा काश्त मुल खसरा नम्बर पुराने 20 के पश्चिम दिशा में संभला दिया तब से वादी का कब्जा काश्त खेत खसरा नम्बर पुराने 20 के पश्चिम दिशा में चला आ रहा है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादगत खेत खसरा नम्बर 523/519, 524/519, 525/519 को मुल खसरा नम्बर पुराने 20 के उतर दिशा में दर्शाया जा रहा हैं जबकि वास्तविकता में मुल खसरा नम्बर पुराने 20 के पश्चिम दिशा में दर्शाया जाना चाहिए था इसलिए वादी दावा के माध्यम से मुताबिक कब्जा काश्त अपने खेतों को मुल खसरा नम्बर पुराने 20 के पश्चिम दिशा में घोषित करवाकर राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने का अधिकारी है। वादी को वादगत खेतों के राजस्व नक्शा अक्स में हुई इस अशुद्धी की जानकारी हुई तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 से आपसी सहमति से तरमीम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने इंकार कर दिया तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना सक्षम आदेश के तरमीम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रतिवादीगण द्वारा किये गये इन्कार के कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों का खातेदार कृषक होने से वादी को दावा प्रस्तुत करने का वादाधार प्राप्त है । वादी के पास उक्त घोषणात्मक व नक्सा दुरूस्ती के अनुतोष का दावा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का कानूनी नोटिस देने का प्रावधान हैं परन्तू वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर का हैं। अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया गया तो प्रतिवादी अपने गलत मंशुबो में सफल हो जावेगें और वादी को अहम नुकसान होगा इसलिए दावा धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर नोटिस की अनिवार्यता से छुट प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से दावा न्यायालय श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है। दावा हर प्रकार से अन्दर मियांद एवं उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वादी वादपत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन करता हैं कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्नप्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावें कि वादगत खेत खसरा नम्बर 523/519 तादादी 1.5200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 524/519 तादादी 1.7700 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 525/519 तादादी 2.5300 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ को उक्त खेतों के पुराने खसरा नम्बर 20 तादादी 13.2500 हैकटेयर रोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के पश्चिम दिशा में घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्सा अक्स में तरमीम करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को दिया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 के असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 523/519 तादादी 1.5200 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 524/519 तादादी 1.7700 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 525/519 तादादी 2.5300 हेक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:29 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

किशन लाल पुत्र इमरताराम जाति ब्राहम्ण निवासी आडसर बास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
2. भींयाराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 59/2025
दावा बाबतः घोषणात्मक,रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 26.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही एवं पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 523/519 तादादी 1.5200 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 524/519 तादादी 1.7700 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 525/519 तादादी 2.5300 हेक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 26 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ